यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/126/2020 **दिनांक :** 31.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

1986 से पूर्व के बैंक सेवानिवृत्तों को देय अनुदान में संशोधन

उपरोक्त विषय में एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/144 दिनांक 31.7.2020 लिखा है। हम इस पत्र का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति
श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदया,

1986 से पूर्व के बैंक सेवानिवृत्तों को देय अनुदान में संशोधन

मृतक बैंक कर्मचारियों के पात्र पारिवारिक सदस्यों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के मुद्दे पर अनुकूल रूप से विचार करने को सहमत होने के लिए आपको और सरकार को धन्यवाद देते हैं। यह वास्तव में परिवारों के लिए एक अच्छी वित्तीय राहत है।

1986 से पूर्व के सेवानिवृत्तों/जीवनसाथी को देय अनुदान पेंशन : एक बार पुनः निम्नलिखित वास्तविक मुद्दे के विषय में आपको प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का साहस करते हैं जिसे सरकार के अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण विचार की आवश्यकता है। हमने पूर्व में भी आपको पत्र लिखा है लेकिन शायद इस संबंध में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

पृष्ठभूमि : भारत सरकार के अनुमोदन से, भविष्य निधि के स्थान पर 1.1.1986 से बैंकों में पेंशन योजना शुरू की गई थी। **1986 से पूर्व** सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन योजना में **शामिल नहीं किया गया** था।

प्रतिवेदनों के आधार पर, सरकार ने **1998 में** अपने दिशा–निर्देश जारी किए, जिसमें बैंकों के **1986 से पूर्व सेवानिवृत्त जीवित कर्मचारियों के लिए** नवबंर, 1997 से प्रतिमाह **रू0 300 + महंगाई भत्ता** की एक अनुदान राशि का भुगतान करने की सलाह दी गई थी।

जारी पृष्ठ 2

बाद में, **2006 में,** सरकार ने सलाह दी कि 1986 से पूर्व सेवानिवृत्तों के **जीवित जीवनसाथी** को **बिना किसी महंगाई भत्ते के रूपये 1000 प्रतिमाह** के एक निश्चित एकमुश्त **अनुदान** का भुगतान किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति : 2013 में, सरकार ने सलाह दी कि 1986 से पूर्व के इन जीवित सेवानिवृत्तों को **रूपये 350 प्रतिमाह + महंगाई भत्ते** का भुगतान किया जा सकता है और ऐसे सेवानिवृत्तों के जीवित जीवनसाथी को **रूपये 175 प्रतिमाह + महंगाई भत्ते** का भुगतान किया जा सकता है। **यह अब भी जारी है।**

फिलहाल, केवल **11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** इस योजना में **शामिल हैं।** भारतीय स्टेट बैंक को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनकी बहुत पहले से अपनी अलग पेंशन योजना है।

पूरे बैंकिंग उद्योग में **2500** से भी कम **1986 से पूर्व सेवानिवृत्त** हैं जो इस अनुदान भुगतान में शामिल हैं।

इसी तरह, ऐसे 1986 से पूर्व सेवानिवृत्तों के **2500** से भी कम **जीवित जीवनसाथी** हैं।

वर्तमान में **सभी 11 बैंकों को** मिलाकर **कुल खर्च/अदायगी** केवल लगभग **रूपये 1.75 करोड़ प्रतिमाह या लगभग रूपये 20 करोड़ प्रतिवर्ष** है। यह प्रति बैंक रू0 2 करोड़ प्रति वर्ष से भी कम है।

1986 से पूर्व बैंक से सेवानिवृत्त होने वाले, ये सेवानिवृत्त बहुत वृद्ध हैं और आज **न्यूनतम 94 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग** में हैं और वे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि **अनुदान राशि को संशोधित किया जा सकता है** और जीवनयापन की वर्तमान लागत, मुद्रास्फीति, चिकित्सा व्ययों आदि का ध्यान रखते हुए इसे **कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है।**

हम इन अति वरिष्ठ नागरिकों के इस वास्तविक प्रतिवेदन पर कृपापूर्वक विचार करने के लिए आपके आभारी रहेंगे।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

प्रतिलिपि :

- सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
- चेयरमैन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, मुम्बई